आर्डर शीट

अपील संख्या 657/2025 अनवान *मंजुदेवी व अन्य बनाम राजुराम वगैरा*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम की तामील
19.08.25	वकील अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 व 3 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 45/2025 (2025/234) में पारित आदेश दिनांक 28.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील एवं हस्तगत अपील के माध्यम से तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत ग्राम पाल के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 19.05.1992 में उल्लेखित ख0नं0 353, 348/1 व 144 की सह–खातेदारी में दर्ज छोगाराम के हिस्से की भूमि में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के रूप में अपना हक–हिस्सा दर्ज करवाने के आशय से प्रस्तुत की गई। जिसके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत विवेचन में मुख्यतः यह वर्णित किया है कि ''वर्तमान राजस्व रेकर्ड–जमाबंदी में उक्त तीनों खसरान की भूमि में गत 32 वर्षो की लंबी अवधि में हस्तान्तरणों के कारण कई लोगों के नए हित सृजित हो गए है तथा अपीलांट्स का अविभाजित हिस्सा भी हस्तान्तरित हो चुका है, जिसका निस्तारण नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही से निर्धारित नही किया जा सकता। इनमें से ख0नं0	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

353, 353/1, 353/6, 797/353, 348 व 144 की उल्लेखित रकबा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज है, जो आगे किन–किन व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई, उसकी जानकारी अपील में प्रकट नही है। इसी प्रकार अपील में हस्तान्तरण से शेष खसरान की कुछ भूमि बाबत अपीलांट्स के पक्ष में आदेश पारित नही किया जा सकता तथा प्रकरण का प्रतिप्रेक्षण भी मूल नामान्तरकरण सं0 1089 को अपास्त किए बिना नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अस्वीकार जाती है तथा अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये अपने अधिकारों का निर्धारण करवाने हेतु स्वतंत्र है।''

अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अहस्तक्षेपनीय होने से, उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर